



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2019-20




उत्तराखण्ड सरकार

प्रस्तावना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के प्रस्तर 8.54 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के लेखों के रख-रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीयभूत करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा केन्द्रीय लेखा परीक्षा में पाई गई सामान्य प्रकार की अनियमितताएं, उत्तर न दिये गये लेखा परीक्षा टिप्पणियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे तथा लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के स्थानीय निरीक्षण में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं को भी सम्मिलित किया गया है। लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों तथा प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता स्तरीय नहीं होती है। लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु-सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के लेखा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनियमितताओं को सुधारने तथा नियमानुसार कार्य सम्पादन करने की दृष्टि से मार्ग दर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।


(संदीप सिंह)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

दिनांक: 01-12-2020

स्थान: देहरादून।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. खण्डों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये (प्रस्तर-1)।
2. खण्डों द्वारा वर्ष 2019-20 के प्रपत्र-51 कार्यालय महालेखाकार को विलम्ब से प्रेषित किये गए (प्रस्तर-2)।
3. सिंचाई विभाग द्वारा जमा शीर्ष में प्रतिकूल अवशेष लम्बे समय से चले आ रहे हैं। प्रतिकूल जमा अवशेष के अविलम्ब निस्तारण हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-3)।
4. नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) एवं सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से राशियां लम्बित हैं। धनराशियों के त्वरित समायोजन हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-4, 5)
5. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन/कपट की सम्भावना रहती है (प्रस्तर-6)।
6. विगत वर्षों में लेखे से सम्बन्धित अनेकों अनियमितताओं को अवगत कराने के बावजूद भी उक्त अनियमितताएं इस वर्ष भी लेखे में पायी गयी है (प्रस्तर-7)।
7. प्रकीर्ण अग्रिम से सम्बन्धित अवशेष जो विगत अनेक वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं, के निस्तारण हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (प्रस्तर-8)।
8. लेखा परीक्षा कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं प्राप्त हुए। निरीक्षण के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएं तथा केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य अनियमिततायें (द्वितीय भाग प्रस्तर-1 एवं 2)।

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में अभियन्त्रण खण्डों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से खण्डों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित खण्डों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा खण्डीय अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किये जाने चाहिए:-

1. मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि (जिस माह का लेखा है उसके अगले माह की 07 से 10 तारीख के मध्य) के अंतर्गत प्रस्तुत करें।
2. प्रपत्र-51 मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत करें।
3. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों में लम्बित क्रेडिट एवं डेबिट धनराशियों का निस्तारण संबंधित कोषागारों से मिलान कर सुनिश्चित करें।
4. विविध लोक निर्माण अग्रिम (प्रकीर्ण अग्रिम) में लम्बित धनराशियों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई भी अग्रिम असमायोजित नहीं रहना चाहिए।
5. नकद परिशोधन लेखों के अन्तर्गत लम्बित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करायें।
6. सामग्री क्रय परिशोधन लेखों के अन्तर्गत अनिस्तारित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, जारी करने की तिथि से 6 माह के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वर्ष 2019-20 की वार्षिक समीक्षा आख्या
परिचयात्मक

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न खण्डों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में शामिल किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियां एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं, वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31-03-2020 को अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कुल संख्या-199 थी।
विभाग वार खण्डों की संख्या निम्न है:-

क्रम संख्या	विभाग	खण्डों की संख्या
1.	लोक निर्माण	93
2.	सिंचाई	72
3.	लघु सिंचाई	13
4.	ग्रामीण निर्माण विभाग	21
योग		199

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत् तैयार की गयी है:-

प्रथम-भाग: इस भाग में खण्डों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीय-भाग: इस भाग में लेखा परीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं स्थानीय निरीक्षण के दौरान खण्डों के प्रारम्भिक लेखों के रख-रखाव में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

प्रथम-भाग

प्रस्तर 1: मासिक लेखों का विलम्ब से भेजा जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह 7 से 10 तारीख के मध्य एवं मार्च माह के मासिक लेखे 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। यह प्रकाश में आया है कि कतिपय खण्डीय अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में समय से प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखों का सार निम्न तालिका में दिया गया है :-

तालिका-1

वर्ष	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई विभाग	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड			विलम्ब से प्राप्त लेखों का योग	कुल खण्ड	विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत
					सिंचाई (खण्ड)	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग			
2019-20	241	61	373	80	69	53	09	886	199	37.10
2018-19	141	29	268	43	64	62	16	623	198	26.22
2017-18	105	22	232	23	42	53	13	490	198	20.62
2016-17	130	28	234	47	64	36	15	554	199	23.19
2015-16	118	47	312	33	54	49	09	622	196	26.44

विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखे वर्ष 2015-16 में लगभग 26 प्रतिशत थे। यद्यपि मासिक लेखों की प्रतिशतता में वर्षवार कभी जरूर आई है लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी 37.10% मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है।

वर्ष 2019-20 में विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की विभागवार एवं माहवार स्थिति अनुलग्नक-1(अ) एवं अनुलग्नक-1(ब) में दी गई है।

शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्धारित दिनांक तक मासिक लेखों का प्रस्तुतीकरण करने की प्रक्रिया को त्वरित करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में शासन स्तर से कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराये।

प्रस्तर-2: मासिक लेखों के साथ प्रपत्र-51 न भेजा जाना अथवा विलम्ब से भेजे जाने के कारण ब्रॉडशीट के रख-रखाव में व्यवधान उत्पन्न होना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डीय अधिकारी प्रपत्र-51 शिड्यूल ऑफ सेटलमेंट विद् ट्रेजरीज, कोषाधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र एवं संकलित ट्रेजरी रसीदों सहित, मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेंगे। खण्डों से प्राप्त उक्त प्रपत्र के आधार पर मुख्य लेखाशीर्ष-8782 की ब्राडशीट को तैयार किए जाने का कार्य महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जाता है।

अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। जिस कारण खण्डों का मुख्य लेखाशीर्ष 8782 का ब्रॉडशीट अद्यतन नहीं किया जा सका।

प्रस्तर-3: सिंचाई विभाग जमा में प्रतिकूल शेष:-

लेखाशीर्ष 8443-सिविल जमा, 108-लोक निर्माण जमा के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों में कुल रू. 306.61 का प्रतिकूल अवशेष था, इसका कारण ऋणात्मक अवशेष वाले खण्डों के विघटन के फलस्वरूप धनात्मक अवशेष वाले खण्डों में समायोजित किया जाना है, जबकि विभाजन से पूर्व से अवशेष अभी भी बंटवारे के अधीन हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है। उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष यह इंगित करता है कि खण्डों द्वारा बाह्य एजेंसियों के कार्य सम्पादन हेतु जमा की गयी धनराशि से अधिक व्यय कर दिया गया है जो कि संहिता एवं नियम पुस्तकों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल शेष इस बात को भी इंगित करता है कि शासन को देय धनराशि की वसूली बकाया है। शासन द्वारा

सम्बन्धित विभागों के प्रतिकूल शेष के निस्तारण हेतु नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।

प्रस्तर-4: लेखाशीर्ष-8658 उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रू. 83.15 लाख के लम्बित अवशेष:-

अभियन्त्रण विभागों में शासनादेश संख्या-ए 2-1240/दस-95-17(6)/83 दिनांक 23-05-1995 द्वारा भण्डारों एवं सामग्रियों के क्रय हेतु दिनांक 01-07-1995 से 'कैश एण्ड कैरी' पद्धति लागू की गई थी। दिनांक 01-07-1995 से पूर्व अभियन्त्रण विभागों के विभिन्न खण्डों द्वारा समय-समय पर नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) में धनराशि पुस्तांकित की जाती रही है। नियमानुसार प्रतिवादी खण्ड को नकद परिशोधन उचन्त लेखा में पुस्तांकित की गई धनराशि को मूल खण्ड से लेखा प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिये था, जिससे कि उक्त शेष में कोई अवशेष अनिस्तारित न रहे। यह देखने में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उक्त शेष में विभिन्न खण्डों द्वारा नकद परिशोधन उचन्त लेखे में पुस्तांकित की गई धनराशि का निस्तारण न किये जाने के फलस्वरूप अभी भी रू. 83.15 लाख के अवशेष विभिन्न खण्डों के विरुद्ध राज्य विभाजन से पूर्व से चले आ रहे हैं। ऐसे अवशेषों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी वार्षिक समीक्षा आख्याओं में इस आशय से किया गया था कि शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, परन्तु अवशेषों का लम्बित रहना यह दर्शाता है कि शासन स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जिन खण्डों के विरुद्ध अवशेष हैं उनका विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

अतः शासन से अपेक्षा की जाती है कि लेखाशीर्ष 8658-उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे में लम्बित धनराशि जो राज्य विभाजन से पूर्व से चली आ रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण कर निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

प्रस्तर-5: सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रू. 262.07 लाख अनिस्तारित अवशेष:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-763 के प्रावधानों के अनुसार खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि की वसूली अथवा समायोजन, शीघ्र किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष प्रयास किये जाने अपेक्षित

हैं। ऐसा प्रकाश में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उच्चतम लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामग्री क्रय परिशोधन उच्चतम लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) शीर्ष के अन्तर्गत जिन खण्डों के विरुद्ध रु. 262.07 लाख की राशि राज्य विभाजन से पूर्व से चली आ रही है अथवा असमायोजित पड़ी हुई है उनका खण्डवार विवरण अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अवशेषों का विवरण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया था परन्तु शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि खण्डीय अधिकारियों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-763 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट किया जाये तथा आवश्यकता अनुरूप निस्तारण की समुचित प्रणाली विकसित की जाये। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाए।

प्रस्तर-6: लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों का समाधान न किया जाना:-

लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के समाधान हेतु, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 742 एवं 743 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा खण्डीय अधिकारियों को प्रत्येक लेखा माह अनुगामी माह की चार तारीख तक, समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग 2) के प्रस्तर 650 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस कार्यालय के अभिलेखानुसार दिनांक 31-03-2019 को प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अभियन्त्रण सेवाओं के विभिन्न खण्डों के अनिस्तारित नकद प्रेषण का राशिवार विवरण अनुलग्नक-5 में दिया गया है जबकि चैकों से सम्बन्धित अनिस्तारित खण्डवार अवशेष धनराशियां अनुलग्नक-6 में दर्शायी गयी हैं। कोषागारों द्वारा सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 के समुचित रख-रखाव के अभाव में उक्त धनराशियां अभी तक अनिस्तारित चली आ रही हैं।

उक्त अनिस्तारित राशियों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी समीक्षा प्रतिवेदनों में भी किया गया था, जिनके निस्तारण हेतु शासन व विभागाध्यक्षों के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती।

यह उल्लेख करना अति महत्वपूर्ण है कि लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। अतः शासन के स्तर पर प्रत्येक माह की 4 तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) खण्डों के खण्डीय अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के खण्डीय अधिकारियों को भी उपरोक्त लेखाशीर्षों में अनिस्तारित अवशेषों के निस्तारण के लिये दिशा-निर्देश किये जाने की आवश्यकता है। दीर्घ अवधि से लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा समुचित नीति निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

वर्तमान में अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार – लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार संबंधित लेखा संहिता "वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI" में भी संशोधन अपेक्षित है।

प्रस्तर-7: मासिक लेखों की प्रारम्भिक जांच के दौरान पायी गयी सामान्य त्रुटियां:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस को भेजे गये मासिक लेखे सभी प्रकार से पूर्ण व सही होने चाहिए। यह देखा गया कि खण्डीय अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये मासिक लेखों में अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ/कमियाँ पायी गयी जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

- i. प्रपत्र-80 की प्राप्ति एवं व्यय पक्षों की राशियों का मासिक लेखा के साथ संलग्न विभिन्न प्रपत्र जैसे-प्रपत्र-74, प्रपत्र-70, प्रपत्र-79 आदि की राशियों से मेल न होना।
- ii. प्रपत्र-80 में कैश बैलेन्स का प्रारम्भिक शेष पिछले माह के अन्तिम शेष से भिन्न होना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा नकदी के सत्यापन में समुचित सावधानी नहीं बरती गई।

- iii. प्रपत्र-80 में प्राप्ति एवं व्यय पक्षों के योग में अन्तर पाया गया।
- iv. कतिपय लेखों के साथ फार्म (46A) प्राप्तियों का लेखा शीर्ष विवरण संलग्न नहीं किया गया।
- v. चालान लिस्ट के साथ चालान की प्रति प्रेषित नहीं की गई।
- vi. मासिक लेखों के साथ चालान द्वारा सीधे कोषागार में जमा किए गए राजस्व का विवरण संलग्न न होने के कारण इस कार्यालय के स्तर पर प्रेषण की राशि की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः राजस्व प्रेषण का विवरण व चालान की प्रतियाँ संलग्न किया जाना अपेक्षित हैं।
- vii. कुछ प्रकरणों में व्यय की प्रकृति भारित/दत्तमत को न दर्शाया जाने के कारण त्रुटिपूर्ण लेखांकन की सम्भावना बनी रहती है।
- viii. अधिकांश प्रकरणों में प्रपत्र-64 (निर्माण खर्च का शिड्यूल) के प्रगामी व्यय एवं आबंटित बजट के स्तम्भों को न भरने के कारण भुगतान आधिक्य की सम्भावना बनी रहती है।
- ix. वी0एल0सी0 द्वारा आवंटित कम्प्यूटर कोड की सील को मासिक लेखे पर न लगाये जाने से खण्डों की पहचान में असुविधा होती है।
- x. संशोधन के लिये तैयार की गयी अंतरण प्रविष्टि पर संख्या व माह का न दर्शाया जाना निर्धारित नियमों की अवहेलना है, जिससे लेखे की सत्यता संदिग्ध रहती है।
- xi. लेखाशीर्षों के अन्तर्गत 15 अंकीय वर्गीकरण सही रूप से अंकित न होने के कारण प्रायः वर्गीकरण की त्रुटियाँ प्रदर्शित होती हैं। अतः 15 अंकीय वर्गीकरण अनिवार्यतः अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- xii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-67ए (शिड्यूल ऑफ एम0पी0एस0एस0ए0) का संलग्न न किये जाने से स्टॉक उच्चत का सही आंकलन नहीं हो पाता है।
- xiii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-76ए (शिड्यूल ऑफ सी0एस0एस0ए0) का संलग्न नहीं किया गया जिससे लम्बित अवशेषों का सही आंकलन करने में असुविधा हुई।
- xiv. खण्डों द्वारा प्रायः बजट आबंटन की प्रत्याशा में व्यय कर दिया जाता है। बड़ी मात्रा में धनराशियों के व्यवर्तन के परिणामस्वरूप लेखांकन प्रक्रिया के मूल उद्देश्य हतोत्साहित होता है।

इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं/कमियों एवं विलम्बित प्रेषणों को संबन्धित खण्डों की जानकारी में समय-समय पर लाया गया है। शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में खण्डीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें तथा शासन स्तर से शुरु की गई सुधारात्मक पहलों से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को अवगत करायें।

प्रस्तर-8: प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित रहना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-578 के अन्तर्गत प्रकीर्ण अग्रिम मद में वे ही धनराशियाँ दर्ज की जानी चाहिए जो उधार बिक्री, निक्षेप में प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय एवं हानियाँ, छटनी अथवा त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुयी हों तथा उनका निस्तारण समुचित अन्तिम शीर्ष को अन्तरण अथवा वसूली द्वारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। वसूली न होने योग्य राशियों को बट्टे खाते में डालने के प्रयास किये जाने चाहिए।

विभिन्न निर्माण कार्य खण्डों के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि अभियन्त्रण विभागों के पुस्तकों में प्रकीर्ण अग्रिम मद में अत्यधिक धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित चली आ रही हैं, जिन खण्डों के विरुद्ध अनिस्तारित अवशेष लम्बित हैं उनका विवरण अनुलग्नक-7 में दर्शाया गया है। अतः उक्त लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन एवं विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

द्वितीय-भाग

प्रस्तर-1: निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर निर्धारित समय तक न दिया जाना:-

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किये गये स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के सभी प्रस्तरों का प्रथम उत्तर/अनुपालन आख्या लेखा परीक्षा कार्यालय में प्रतिवेदनों के जारी करने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

यह देखने में आया है कि वर्ष 2019-20 में अनेक खण्डों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर अनेक माह व्यतीत हो जाने पर भी लेखा परीक्षा कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं। इस प्रकार प्रतिवेदनों का अनुत्तरित रहना निरीक्षण के उद्देश्य को समाप्त कर देता है।

अभियंत्रण खण्डों की सूची, जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर निर्धारित समायान्तर्गत नहीं दिया है, अनुलग्नक-8 में दिया गया है।

प्रस्तर-2: स्थानीय निरीक्षण के दौरान पाई गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएँ:-

अभियन्त्रण विभागों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ पाई गयीं। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची अनुलग्नक-9 में दी गयी है। निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं के निरीक्षण में पाए गये भुगतान आधिक्य व अन्य अनियमितताओं का विवरण अनुलग्नक-10 में दिया गया है।

इन सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।



उपमहालेखाकार/प्रशासन एवं लेखा

अनुलग्नक-1(अ)
(प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)

विभाग एवं माहवार मासिक लेखे की स्थिति जिनके लेखे वर्ष 2019-20 में विलम्ब से प्राप्त हुए:-

माह	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई खण्ड	लोक निर्माण	ग्रामीण निर्माण विभाग	योग
अप्रैल-2019	14	00	07	00	21
मई-2019	25	03	26	10	64
जून-2019	09	06	15	01	31
जुलाई-2019	17	04	23	04	48
अगस्त-2019	18	03	21	03	45
सितम्बर-2019	26	08	41	06	81
अक्टूबर-2019	26	03	41	05	75
नवम्बर-2019	25	05	32	06	68
दिसम्बर-2019	26	04	46	09	85
जनवरी-2020	36	04	33	14	87
फरवरी-2020	21	03	48	10	82
मार्च-2020	72	13	93	21	199
योग	315	56	426	89	886

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2019 से मार्च 2020
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	आई. आर. डी.	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020
1.	001	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा							13.11.19		13.1.20	11.2.20	11.5.20	11.5.20
2.	002	सिंचाई खण्ड, रानीखेत		14.6.19	11.7.19	14.8.19		14.10.19		17.12.19		14.2.20	4.5.20	5.5.20
3.	003	लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा							13.11.19				13.3.20	25.5.20
4.	031	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर				14.8.19	16.9.19	14.10.19			13.1.20	13.2.20	16.3.20	11.5.20
5.	035	सिंचाई खण्ड, चमोली										12.2.20		8.6.20
6.	045	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, चम्पावत	14.5.19			14.8.19	24.9.19			17.12.19				11.5.20
7.	053	सिंचाई खण्ड, देहरादून						11.10.19	18.11.19					18.05.20
8.	054	सिंचाई खण्ड, कालसी												15.5.20
9.	055	नलकूप खण्ड, देहरादून								11.12.19				18.5.20
10.	056	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून						15.10.19		12.12.19				21.05.20
11.	061	सिंचाई खण्ड, विकासनगर, देहरादून						11.10.19		11.12.19		13.2.20		22.5.20
12.	066	परियोजना खण्ड, देहरादून												8.5.20
13.	069	डाकपत्थर कालोनी एवं संचार खण्ड		11.6.19			18.9.19	11.10.19	13.11.19	17.12.19	13.1.20			15.5.20
14.	073	सिंचाई खण्ड रुड़की									13.1.20	13.2.20		15.5.20
15.	126	सिंचाई खण्ड हरिद्वार												13.5.20
16.	127	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून					16.9.19							11.5.20
17.	128	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश					12.9.19	16.10.19	13.11.19			11.2.19		13.5.20
18.	129	नलकूप खण्ड रुड़की, हरिद्वार				20.8.19		11.10.19		12.12.19	13.1.20	17.2.20		13.5.20
19.	130	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की										11.2.20		11.5.20
20.	131	परिकल्प खण्ड, रुड़की		11.6.19			12.9.19					13.02.20		20.5.20
21.	132					14.8.19			13.11.19			13.2.20		15.5.20

22.	133	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रूडकी		11.6.19						11.12.19				1.6.20
23.	135	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	14.5.19			12.9.19	14.10.19	13.11.19			13.1.20	11.2.20		13.5.20
24.	150	सिंचाई खण्ड, नैनीताल						14.11.19	11.12.19			11.2.20		19.5.20
25.	151	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी				18.9.19		13.11.19	13.12.19	13.1.20	14.2.20			30.6.20
26.	153	जमरानी डैम निर्माण खण्ड-3, हल्द्वानी, नैनीताल	14.5.19		14.8.19	16.9.19	11.10.19			23.12.19	20.1.20	20.2.20	5.5.20	1.6.20
27.	154	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल										11.2.20		22.5.20
28.	155	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी						13.11.19						5.5.20
29.	170	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा			18.7.19	14.8.19								5.6.20
30.	171	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर						11.10.19						15.5.20
31.	172	नलकूप खण्ड, बाजपुर			14.8.19								12.3.20	21.5.20
32.	200	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़								11.12.19	13.01.20	14.2.20		13.5.20
33.	230	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग रूद्रप्रयाग						16.10.19	13.11.19	11.12.19		11.2.20		28.5.20
34.	240	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी		12.6.20		13.9.19							16.3.20	21.5.20
35.	241	अवस्थापना/पुर्नवास खण्ड, नई टिहरी		11.6.19				19.10.19	19.11.19	18.12.19	16.1.20	13.2.20		13.7.20
36.	242	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर											18.3.20	15.5.20
37.	250	सिंचाई खण्ड, काशीपुर, उधमसिंह नगर		14.6.19		14.8.19				16.12.19	13.1.20	11.2.20		19.5.20
38.	251	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर				14.8.19								11.5.20
39.	260	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी		13.6.19										30.6.20
40.	261	सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी			12.7.19		13.9.19	14.10.19	15.11.19	12.12.19	24.1.20	13.2.20		1.7.20
41.	262	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, जोशियाडा, उत्तरकाशी	14.5.19		11.7.19	2.9.19	18.10.19	15.11.19			15.01.20	13.2.20		12.6.20
42.	266	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	13.5.19	12.6.19		16.9.19	1.11.19				24.1.20		12.3.20	12.5.20
43.	270	नलकूप खण्ड, रामनगर			15.7.19	14.8.19								15.5.20
44.	271	सिंचाई खण्ड, केदरानाथ										20.2.20		15.5.20

45.	272	सिंचाई खण्ड, धारचुला पिथौरागढ़	13.5.19	14.06.19	18.7.19	28.8.19			19.11.19	17.12.19	13.1.20			8.6.20
46.	273	सिंचाई खण्ड, कपकोट	13.5.19	17.6.19		14.08.19	12.09.19			11.12.19	13.01.20			18.5.20
47.	274	सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली	13.5.19											25.6.20
48.	276	प्रशिक्षण परियोजना कुमाऊ, रूड़की	15.5.19	12.6.19										13.5.20
49.	331	(सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), अल्मोडा		14.6.19				13.11.19			13.1.20	11.2.20		5.5.20
50.	333	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) बागेश्वर		24.06.19						11.12.19				27.5.20
51.	334	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) नैनीताल						27.11.19				11.2.20	3.5.20	27.5.20
52.	335	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), चम्पावत		14.06.19		16.8.19		11.10.19				11.2.20		6.5.20
53.	336	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी. एस.वाई.), श्रीनगर पोड़ी गढ़वाल						11.10.19						6.5.20
54.	337	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) कोटद्वार	20.5.19	18.6.19	16.7.19		12.9.19		26.11.19		24.1.20	13.2.20		6.5.20
55.	338	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) पिथौरागढ़		11.6.19				23.10.19	13.11.19	26.12.19	13.1.20			6.5.20
56.	339	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) रुद्रप्रयाग,						14.10.19				11.2.20		27.5.20
57.	341	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) टिहरी		11.6.19				11.11.19	13.11.19		12.01.20			27.5.20
58.	342	सिंचाई खण्ड-2, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) टिहरी						16.10.19	13.11.19			11.2.20		27.5.20

59.	343	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) उत्तरकाशी	14.5.19		11.7.19		12.9.19	18.10.19	15.11.19		15.1.20		16.3.20	8.6.20
60.	349	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी. एस.वाई.) बैजरो पोड़ी गढ़वाल	14.5.19	11.6.19							24.01.20		26.3.20	20.5.20
61.	350	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) पुरौला		11.06.19										27.5.20
62.	351	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) देहरादून												8.5.20
63.	353	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) लोहाघाट		11.6.19		14.8.19			13.11.19		13.1.20	18.02.20		5.5.20
64.	354	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) जखोली								13.12.19				5.5.20
65.	355	लघु डाल खण्ड, पिथौरागढ़		14.6.19		14.8.19		14.10.19	13.11.19	11.12.19	13.1.20	11.2.20		25.6.20
66.	356	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	15.5.19			16.08.19	16.9.19			12.12.19		19.2.20	14.07.20	8.06.20
67.	357	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर												1.6.20
68.	358	नलकूप खण्ड, टनकपुर						11.10.19	13.11.19		13.1.20	11.2.20	18.05.20	21.5.20
69.	359	नलकूप खण्ड, हरिद्वार		14.6.19										11.5.20
70.	360	जल विज्ञान खण्ड											12.3.20	27.5.20
71.	361	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड	21.5.19	24.06.19	18.07.19		16.09.19	29.10.19	18.11.19	17.12.19	15.1.20	13.2.20	2.6.20	2.6.20
72.	362	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) हल्द्वानी	----	----	----	---	---			11.12.19	13.1.20	13.2.20	2.6.20	2.6.20

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
लघु सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2019 से मार्च 2020
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020
1.	100	लघु सिंचाई खण्ड तपोवन रोड, निकट ब्लॉक आफिस, रायपुर, देहरादून			19.7.19								20.3.20	13.5.20
2.	101	लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार					15.10.19			13.1.20				11.5.20
3.	200	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल		11.6.19	17.7.19		11.10.19		12.12.19	13.1.20	13.2.20	16.6.20	16.6.20	
4.	201	लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी										15.5.20	15.5.20	
5.	300	लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी					17.10.19					16.3.20	15.5.20	
6.	301	लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर, चमोली									12.2.20			30.6.20
7.	400	लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग			11.7.19	12.9.19	11.10.19			13.01.20		16.3.20	11.5.20	
8.	401	लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर			15.7.19				17.12.19		11.02.20	16.3.20	2.7.20	
9.	500	लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी		11.6.19		12.9.19								13.5.20
10.	501	लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत		17.6.19	17.7.19	14.8.19	13.9.19	13.11.19	13.11.19	23.12.19				
11.	600	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़				14.8.19		14.10.19	13.11.19		16.1.20	24.2.20	30.6.20	30.6.20
12.	601	लघु सिंचाई खण्ड, उधमसिंह नगर				14.8.19		14.10.19			11.2.20			5.5.20
13.	700	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा			16.7.19	14.8.19		11.11.19	26.11.19	27.12.19	24.1.20	25.2.20		5.5.20

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
लोक निर्माण खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2019 से मार्च 2020
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	कोड	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020
1.	001	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा				14.08.19			13.11.19	16.12.19	16.01.20	31.02.20	18.05.20	18.05.20
2.	002	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा						14.10.19	13.11.19				05.05.20	18.05.20
3.	003	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत							13.11.19		13.01.20	13.05.20		13.05.20
4.	004	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत						14.10.19	13.11.19	17.12.19	13.01.20	14.02.20		19.05.20
5.	016	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर				14.08.19					13.01.20	13.02.20	19.05.20	11.05.20
6.	026	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर				14.08.19						13.02.20	09.06.20	22.06.20
7.	027	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग			15.07.19	14.08.19	16.09.19	11.10.19		16.12.19	13.01.20	31.02.20		18.05.20
8.	028	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ				19.08.19						14.02.20	05.05.20	05.05.20
9.	029	अस्थाई विद्युत यांत्रिक खण्ड, गोपेश्वर		11.09.19									09.03.20	22.05.20
10.	030	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० थराली	13.05.19		15.07.19			16.10.19	13.11.19	16.12.19		23.02.20	16.03.20	22.05.20
11.	031	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर		14.06.19		14.08.19		14.10.19		16.12.19	13.01.20	12.02.20	16.03.20	16.04.20
12.	045	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत							13.11.19	16.12.19	13.01.20	13.02.20	05.05.20	11.05.20
13.	046	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट		11.06.19		14.08.19		14.10.19		11.12.19	15.01.20		05.05.20	03.07.20
14.	051	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून		14.06.19	12.07.19		13.09.19					14.02.20	05.05.20	11.05.20
15.	052	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० सैहिया												15.05.20
16.	053	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता												04.05.20
17.	054	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,					12.09.19	14.10.19						15.05.20

		देहरादून												
18.	055	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० डोईवाला												05.05.20
19.	056	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी, चमोली					11.10.19						05.05.20	11.05.20
20.	057	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर हरिद्वार		11.06.19	12.07.19		17.09.19			16.12.19		11.02.20		11.05.20
21.	071	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार					13.09.19		13.11.19	11.12.19	13.01.20			18.05.20
22.	072	वि० एवं यां खण्ड लो० नि० वि० ऋषिकेश					16.09.19						23.03.20	12.05.20
23.	073	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश												14.05.20
24.	075	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० रुडकी						14.10.19	13.11.19				11.05.20	18.05.20
25.	091	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल						11.10.19						18.05.20
26.	092	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल						14.10.19	13.11.19		13.01.20		18.05.20	19.05.20
27.	093	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, काशीपुर							13.11.19					19.05.20
28.	094	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा							13.11.19				18.05.20	16.05.20
29.	095	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर									13.01.20		05.05.20	13.05.20
30.	096	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी		11.06.19			12.09.19	16.10.19	13.11.19		13.01.20	11.02.20	11.05.20	13.05.20
31.	098	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी							13.11.19		13.01.20		06.05.20	18.05.20
32.	100	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी						11.10.19	13.11.19		13.01.20		23.03.20	18.05.20
33.	120	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी								16.12.19				18.05.20
34.	121	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन							13.11.19				18.03.20	22.05.20
35.	122	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० दुगड्डा											04.06.20	16.06.20
36.	123	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी									13.01.20			18.05.20
37.	124	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर						11.10.19		16.12.19		13.02.20	05.05.20	11.05.20

38.	125	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ब्रेजरों	15.05.19	11.06.19	11.07.19	16.08.19		14.10.19			13.01.20	14.02.20	19.03.20	22.05.20
39.	126	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर		14.06.19							15.01.20	14.02.20	18.03.20	05.05.20
40.	140	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़		11.06.19	11.07.19					16.12.19	13.01.20	14.02.20	16.03.20	16.05.20
41.	141	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट		11.06.19		14.08.19	12.09.19	14.10.19	13.11.19	16.12.19	13.01.20			19.05.20
42.	142	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट		11.06.19	18.07.19	14.08.19	16.09.19	14.10.19		27.12.19	15.01.20		18.03.20	19.05.20
43.	143	विद्युत यांत्रिक खण्ड, पिथौरागढ़	13.05.19	14.06.19		14.08.19		14.10.19			13.01.20			19.05.20
44.	144	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग		11.06.19		17.08.19		14.10.19			13.01.20	12.02.20	18.03.20	05.05.20
45.	160	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग											05.05.20	05.05.20
46.	170	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी			12.07.19		16.09.19	21.10.19		17.12.19	22.01.20		13.05.20	13.05.20
47.	171	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी						22.10.19						11.05.20
48.	172	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा				14.08.19								16.05.20
49.	173	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर											19.03.20	15.05.20
50.	174	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली		11.06.19		14.08.19		22.10.19	13.11.19				16.05.20	19.06.20
51.	175	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड										14.02.20		11.05.20
52.	200	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग					16.09.19	13.11.19	13.11.19			18.02.20	21.05.20	21.05.20
53.	202	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गुप्तकाशी		12.06.19			12.09.19	17.10.19		16.12.19	15.01.20	18.02.20		15.05.20
54.	210	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी						11.10.19			13.01.20			15.05.20
55.	211	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी								11.12.19				12.06.20
56.	213	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला			12.07.19	14.08.19		14.10.19		17.12.19	13.01.20		16.03.20	15.05.20
57.	216	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी								11.12.19				21.05.20
58.	217	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक												12.06.20

		निर्माण विभाग, बड़कोट												
59.	219	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0 देहरादून		11.06.19								18.02.20		05.05.20
60.	220	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की										18.02.20		11.05.20
61.	221	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट		11.06.19				13.11.19			13.01.20	18.02.20		11.05.20
62.	222	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट									15.01.20			05.05.20
63.	223	निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, नैनीताल		11.06.19	13.07.19	21.08.19						13.01.20		18.05.20
64.	224	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट		11.06.19	15.07.19	14.08.19	18.09.19						19.05.20	19.05.20
65.	225	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट					12.09.19	11.10.19				13.01.20		19.05.20
66.	226	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, गौचर								13.12.19			20.05.20	20.05.20
67.	227	वि0 एवं यां खण्ड लो0 नि0 वि0 बाजपुर				14.08.19		31.10.19	13.11.19					20.05.20
68.	228	निर्माण खण्ड, लो0 नि0वि0 अल्मोड़ा		11.06.19			16.09.19					13.01.20		20.05.20
69.	229	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, पौड़ी												18.05.20
70.	230	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, टिहरी	20.05.19	11.06.19	15.07.19	19.08.19	16.09.19	11.10.19		12.12.19	16.01.20		03.07.20	03.07.20
71.	231	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, पिथौरागढ़		14.06.19			16.09.19	23.10.19		16.12.19	15.01.20		16.03.20	21.05.20
72.	232	निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, दुगड़डा						14.10.19		13.01.20				03.06.20
73.	233	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, रुद्रपुर			11.07.19		16.09.19		13.11.19	16.12.19	13.01.20			21.05.20
74.	234	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, उत्तरकाशी						11.10.19		15.12.19		11.02.20		15.05.20
75.	235	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, बागेश्वर		11.06.19								11.02.20		12.05.20
76.	236	विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून								11.12.19		11.02.20		21.05.20
77.	237	वि0/यां खण्ड, लो0 नि0 वि0 भीमताल				13.05.19		14.10.19			15.01.20	13.02.20	11.05.20	11.05.20
78.	238	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0 नि0 वि0, रानीखेत				16.08.19		14.10.19					05.05.20	11.05.20

79.	239	अस्थाई खण्ड लो० नि० वि० गुप्तकाशी		11.06.19		14.08.19				15.01.20		11.05.20	11.05.20	
80.	240	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पावौ				13.08.19			13.11.19		13.01.20		11.05.20	
81.	241	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर		11.06.19					13.11.19					
82.	242	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग							13.11.19				05.05.20	
83.	243	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसेण					12.09.19				15.01.20	13.02.20	16.03.20	30.05.20
84.	330	निर्माण खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई), लो०नि०वि०, कालसी							15.11.19	11.12.19	15.01.20		30.05.20	
85.	332	निर्माण खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई), लो०नि०वि०, पोखरी		12.06.19							15.01.20		19.05.20	30.05.20
86.	340	निर्माण खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई), लो०नि०वि०, सल्ट		11.06.19		13.08.19				16.12.19	16.01.20		19.05.20	19.05.20
87.	344	निर्माण खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई), लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	15.05.19	11.06.19									05.05.20	05.05.20
88.	345	निर्माण खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़				11.07.19					13.01.20	13.02.20	05.05.20	05.05.20
89.	346	निर्माण खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि०,	15.05.19			20.07.19					15.01.20	17.02.20		05.05.20
90.	347	पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि०, सतपुली, कोटद्वार		14.06.19									23.03.20	19.05.20
91.	348	पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि०, नरेन्द्र नगर	13.05.19	11.06.19				18.09.19	21.10.19		13.01.20	05.05.20	18.03.20	05.05.20
92.	355	पी०एम०जी०एस०वाई, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर				14.08.19				20.12.19	13.01.20	05.05.20	05.05.20	05.05.20
93.	357	पी०एम०जी०एस०वाई, पी०आई०यू०, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग		11.06.19						15.12.19	13.01.20	05.05.20	23.05.20	05.05.20

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

1.	010	ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा		11.06.19		14.08.19			19.11.19	23.12.19	13.01.20	13.02.20	18.05.20	18.05.20
2.	020	ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर				13.08.19			11.11.19		13.01.20	11.02.20	11.03.20	11.05.20
3.	030	ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली		14.06.19					11.11.19				11.03.20	13.05.20
4.	040	ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग							11.11.19			13.05.20	11.03.20	13.05.20
5.	050	ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून		11.06.19								13.05.20	23.03.20	05.05.20
6.	060	ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार		11.06.19			13.09.19	11.10.19		11.12.19		11.02.20	23.03.20	19.05.20
7.	070	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल							11.11.19				18.05.20	11.05.20
8.	080	ग्रामीण निर्माण विभाग, (वि०/या०) देहरादून		20.06.19						11.12.19		13.02.20		13.05.20
9.	090	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी				14.08.19			11.11.19		15.01.20	18.06.20		15.06.20
10.	100	ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत							11.11.19			05.05.20	11.03.20	05.05.20
11.	110	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़		11.06.19		14.08.19	11.09.19	14.10.19	13.11.19		12.01.20	05.02.20	16.03.20	19.05.20
12.	130	ग्रामीण निर्माण विभाग, टिहरी							11.11.19	16.12.19				19.05.20
13.	150	ग्रामीण निर्माण विभाग, उद्यमसिंहनगर											09.05.20	11.05.20
14.	170	ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी						11.10.19		11.12.19		11.02.20	11.05.20	11.05.20
15.	180	ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार											09.05.20	11.05.20
16.	190	ग्रामीण निर्माण विभाग, घनसाली		11.05.19					11.11.19		13.01.20	05.05.20		19.05.20
17.	200	ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), डीडीहाट		11.06.19	11.07.19	14.08.19	16.09.19	14.10.19	15.11.19	16.12.19	15.01.20	11.05.20		19.05.20
18.	210	ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), भिकियासेण्ड							11.11.19		13.01.20	11.05.20		11.05.20
19.	220	ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी०एम०जी०एस०वाई), कर्णप्रयाग									13.01.20	11.05.20		11.05.20
20.	230	ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी०एम०जी०एस०वाई), डीडीहाट		11.06.19		14.08.19	12.09.19		13.11.19		16.01.20	19.05.20		21.05.20
21.	240	ग्रामीण निर्माण विभाग,, (पी०एम०जी०एस०वाई), कपकोट				13.08.19			11.11.19					20.03.20

अनुलग्नक-2
(प्रस्तर-3 के सन्दर्भ में)

2019-20 के अंत में सिंचाई खण्डों के जमा के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष।

क्रमांक	वी0एल0सी0 कोड	खण्ड का नाम	अवशेष (धनराशि रु. में)
1.	069	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	-6580271.71
2.	129	नलकूप खण्ड, रूड़की	-1288068.00
योग			-7868339.71

अनुलग्नक-3
(प्रस्तर-4 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समाप्ति पर नकद परिशोधन उचन्त लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्डवार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रू. में
1.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	296560.72
2.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	750610.22
3.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	2541214.35
4.	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	4650739.87
5.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ	75487.62
योग		8314611.84

अनुलग्नक-4
(प्रस्तर-5 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समाप्ति पर सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्ड वार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रु. में
1.	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून	23848095
2.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	742569
3.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	68822
4.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	199492
5.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	856098.15
6.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ, रुद्रप्रयाग	33300
7.	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	459000
योग		26207376.15

अनुलग्नक-5
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-1 में अनिस्तारित रोकड़ (Cash) की सूची:-

चालानों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (रु.)
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सैइया कालसी		
29	नवम्बर 2007 से मार्च 2019	-171954.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर		
03	दिसम्बर 2012 से जुलाई 2016	3465434.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा		
02	दिसम्बर 2014 से जुलाई-2016 तक	4884100.00
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर		
09	जनवरी 2007 से नवम्बर 2018 तक	4515678.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट		
26	अप्रैल-2008 से सितम्बर-2013 तक	27627022.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग		
04	जनवरी 2001से मई 2013 तक	1192180.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा		
07	दिसम्बर-2015 से दिसम्बर-2018 तक	-4819740.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर		
14	अगस्त-2001 से फरवरी-2018 तक	-8601651.00
निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौडी		
17	फरवरी-2016 से दिसम्बर-2018 तक	-668.00
विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून		
09	मार्च-2014 से मार्च-2019 तक	1661980.00
विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भीमताल		
04	अप्रैल-2018 से मार्च-2019 तक	-688895.00
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर		
01	मार्च-2019	8850.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली		
21	जुलाई-2003 से मार्च-2019 तक	-12903215.00

नोट : उपरोक्त अनिस्तारित रोकड़ मार्च 2019 तक की दर्शायी गयी है। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-6
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-2 में अनिस्तारित चैकों (Cheque) की सूची:-

चैकों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (₹.)
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर		
12	जून-2006 से जून-2016 तक	185470.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा		
11	मार्च-2003 से फरवरी-2015 तक	-53066.00
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर		
04	फरवरी-2008 से मार्च-2017 तक	10168.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट		
25	जनवरी-2003 से मार्च 2014 तक	1556508.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग		
07	मार्च-2009 से फरवरी-2013	69761.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा		
06	नवम्बर-2011 से मार्च-2017 तक	13101.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर		
17	अक्टूबर-2007 से मई-2017 तक	22417.00
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट		
05	अगस्त-2008 से अक्टूबर-2013 तक	35742.00
निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि., अल्मोड़ा		
01	मार्च-2013	10000.00
निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौडी		
02	मार्च-2014 से मई-2017 तक	28461.00
विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून		
10	जून-2013 से सितम्बर- 2016	80853.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर		
03	जनवरी-2007 से नवम्बर-2014 तक	5707.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली		
01	अक्टूबर-2001	9447.00

नोट : उपरोक्त अनिस्तारित चैक मार्च 2019 तक के दर्शाये गये हैं। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-7
(प्रस्तर-8, भाग-1 के सम्बन्ध में)

31 मार्च 2019 के विभिन्न प्रखण्डों के विरुद्ध लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम जिनका निस्तारण किया जाना है:-

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	धनराशि (रु. में)
1.	प्रशिक्षण खण्ड, रूडकी	1780
2.	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	397690
3.	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	71883794.76
4.	नलकूप खण्ड, देहरादून	3874518.75
5.	सिंचाई निर्माण खण्ड, श्रीनगर	4778816.16
6.	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	406910.269
7.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	1268744.95
8.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश,	16692080
9.	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	1972818
10.	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	217196
11.	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	713963
12.	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	498235
13.	लघु सिंचाई खण्ड, पोडी	48240
14.	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल	2166407
15.	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून	34490027
16.	नलकूप खण्ड, बाजपुर	242756.55
17.	अवस्थापना खण्ड, उत्तराकाशी	5587557.94
18.	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	615381
19.	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	181949
20.	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	2373787
21.	सिंचाई खण्ड, थराली	2032665
22.	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	307881.86
23.	सिंचाई खण्ड, कालसी	4974936.76
24.	अवस्थापना पुर्नवास खण्ड, नई टिहरी	12747807.94
25.	सिंचाई खण्ड, रामनगर , नैनीताल	173564.85
26.	अवस्थापना खण्ड, रूडकी	281529
27.	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूडकी	721300.60
28.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	556715
29.	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश,	241928772.88
30.	लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून	226019
31.	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर	676620.88

32.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुडकी	10657848.01
33.	वि० एवं या० खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	819816.59
34.	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी	11676799
35.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला	674903
36.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट	23037851
37.	रा०राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी	2049402
38.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट	3727273
39.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	11287210
40.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर	4678588.57
41.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की	124263
42.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर, हरिद्वार	10027077.27
43.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी	10328676
44.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर	5993977
45.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल	3888704
46.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट	161529
47.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी	21490727
48.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग	37892.37
49.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट	4309796
50.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग	1001888
51.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ	1630076
52.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली	11632151
53.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर	3276859
54.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा	6154501
55.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	2084220
56.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन	8714253
57.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर	8947282
58.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता	8238472
59.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ	3039158.83
60.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली	3639401.11
61.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	2985765
62.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट	23376215
63.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी	991435.57
64.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	2012112
65.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर	5588236
66.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली	18491959
67.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी	7425001
68.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा	26957671
69.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	2637442.38
70.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सैइया	5030712.80
71.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	2858340
72.	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश	6040048
73.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	4052163.36
74.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा	1465244.84
75.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	4989741

76.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट	2605807.61
77.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल	6332395
78.	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, देहरादून	1454321
79.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	10027077.27
80.	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग	6853519
81.	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	1253178.19
82.	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी	1027234
83.	विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बाजपुर	23542
84.	ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून	144249
85.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	1014292.86
86.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौडी	1220564
87.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ	895731
88.	ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	-53588
89.	ग्रामीण निर्माण विभाग, भिकियासैन	54799

अनुलग्नक-8
(प्रस्तर-1, भाग-2 के सन्दर्भ में)

अभियन्त्रण विभागों के प्रखण्डों/कार्यालयों का नाम, जिनके वर्ष 2019-20 में जारी हुए लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर दिनांक 31.03.2020 तक प्राप्त नहीं हुए :-

क्र.सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खण्ड का नाम
1.	01/2019-20	मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु, गढवाल मण्डल, लो0नि0वि0, देहरादून
2.	02/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, 10वां रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून
3.	12/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग
4.	20/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर
5.	22/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, धूमाकोट
6.	25/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरो, पौडी
7.	29/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट, उत्तरकाशी
8.	31/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता, देहरादून
9.	34/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून
10.	40/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लेंसडौन
11.	46/2019-20	मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु, लो0नि0वि0, हल्द्वानी
12.	48/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, स्तर.1, लो0नि0वि0, देहरादून
13.	49/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी
14.	51/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल
15.	52/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर
16.	53/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड.2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, नैनीताल
17.	61/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट
18.	67/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, 6वां वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी
19.	79/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी
20.	87/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाडी, उत्तरकाशी
21.	89/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ
22.	91/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड, टिहरी
23.	92/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली
24.	94/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल
25.	95/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चंवा
26.	97/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर, टिहरी
27.	98/2019-20	मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी, नैनीताल
28.	99/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार

29.	101/2019-20	निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून
30.	103/2019-20	मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौडी
31.	104/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौडी
32.	105/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, 4वां वृत्त, लो0नि0वि0, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर
33.	106/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार
34.	108/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर, उधमसिंह नगर
35.	109/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश
36.	110/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर, टिहरी
37.	111/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी
38.	114/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, 2वां वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल
39.	115/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला, उत्तरकाशी
40.	117/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट
41.	118/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रपुर
42.	119/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी
43.	120/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा
44.	121/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा, उधमसिंह नगर
45.	122/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत
46.	123/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर
47.	124/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग
48.	126/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर, नैनीताल
49.	127/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उखीगढ, रुद्रप्रयाग
50.	129/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया, देहरादून
51.	04/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यवृत्त, सिंचाई विभाग, नई टिहरी
52.	05/2019-20	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
53.	06/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग
54.	13/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चमोली
55.	14/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, विकास नगर
56.	15/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, नई टिहरी
57.	19/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्र नगर
58.	26/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग
59.	27/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग
60.	28/2019-20	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल
61.	33/2019-20	मुख्य अभियन्ता, यान्त्रिक, सिंचाई विभाग, देहरादून

62.	36/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उधमसिंह नगर
63.	37/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल सिंचाई विभाग, देहरादून
64.	38/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून
65.	39/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रुड़की
66.	41/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून
67.	42/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल
68.	44/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार
69.	45/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून
70.	47/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, स्थापना खण्ड, सिंचाई विभाग, रुड़की
71.	50/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बाजुपर
72.	55/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड सिंचाई विभाग, देहरादून
73.	58/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी
74.	60/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोडा
75.	62/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी
76.	63/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत)
77.	69/2019-20	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
78.	70/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)
79.	74/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी
80.	76/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)
81.	77/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी
82.	78/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सितारगंज (उधम सिंह नगर)
83.	80/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर
84.	81/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़
85.	82/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी
86.	86/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, कपकोट (बागेश्वर)
87.	88/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)
88.	90/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत
89.	93/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, थराली
90.	96/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)
91.	100/2019-20	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
92.	102/2019-20	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, देहरादून
93.	113/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून
94.	116/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधमसिंह नगर)
95.	128/2019-20	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कालसी

96.	SS/AIR/174/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौडी, गढ़वाल
97.	SS/AIR/161/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, घनसाली, टिहरी गढ़वाल
98.	SS/AIR/221/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, गोपेश्वर, चमोली
99.	SS/AIR/210/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग
100.	SS/AIR/113/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंह नगर
101.	SS/AIR/114/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार
102.	SS/AIR/92/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार
103.	SS/AIR/255/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर
104.	SS/AIR/133/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा
105.	SS/AIR/147/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी
106.	SS/AIR/239/2018-19	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल

अनुलग्नक-9
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

स्थानीय निरीक्षण (वर्ष 2019-20) के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताये:-

क्र. सं.	खण्ड का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	महत्वपूर्ण अनियमितता एवं धनराशि
1	मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु (गढ़वाल मण्डल) लो.नि.वि. देहरादून	ES2-001/19-20	अनुबंध शर्तों के अनुरूप ठेकेदारों से ₹139.72 लाख की क्षतिपूर्ति वसूल न किया जाना।
2	- do -	ES2-001/19-20	कार्य में देरी के लिए ठेकेदारों पर अनुबंध शर्तों के अनुसार ₹19.34 करोड़ का अर्थदण्ड (liquidated damages) आरोपित/वसूल न किया जाना।
3	- do -	ES2-001/19-20	गलत तथ्यों के आधार पर अनुबंध का गठन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹20.55 करोड़ के संभावित दायित्वों का सृजन किया जाना।
4	अधीक्षण अभियन्ता, 10वाँ राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून	ES2-002/19-20	राष्ट्रीय राजमार्ग (94) के उद्घिकरण कार्य का चारधाम परियोजना में स्वीकृत होने के उपरांत भी पुरानी स्वीकृति के तहत ₹2.13 करोड़ का परिहार्य/निष्फल व्यय।
5	- do -	ES2-002/19-20	निविदा शर्तों के अनुसार ठेकेदार की जमानत राशि जब्त न किए जाने से राजकोष को ₹79.90 लाख की क्षति।
6	- do -	ES2-002/19-20	रोड कटिंग के दौरान क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्स्थापना कार्यों हेतु ₹133.83 लाख की अनियमित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया जाना व उसके सापेक्ष बिना कार्य निष्पादन के ₹62.52 लाख के संदिग्ध व्यय।
7	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लो.नि.वि., देहरादून	ES2-003/19-20	केंद्रीय विशेष आयोजनागत सहायता (SPA) के तहत स्वीकृत कार्यों की वचत राशि ₹19.05 करोड़ को, भारत सरकार की अनुमति बिना ही, अन्य कार्य के लिए व्यावर्तित किया जाना।
8	- do -	ES2-003/19-20	चारधाम यात्रा राजमार्गों के कार्य निष्पादन के एवज में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले ऐजेंसी चार्ज ₹ 131.16 करोड़ की विभागीय प्राप्ति सुनिश्चित न किया जाना।
9	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	ES2-005/19-20	विभागीय उदासीनता के कारण एआईबीपी योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त न किया जाना, योजना के अंतर्गत केंद्रान्तर रु. 100.70 करोड़ की धनराशि प्राप्त करने से वंचित रहना तथा अस्वीकृत योजना के अंतर्गत 30 अपूर्ण कार्यों पर रु. 38.50 करोड़ अलाभकारी व्यय एवं रु. 12.55 करोड़ की देनदारी का सृजन।
10	- do -	ES2-005/19-20	विभाग द्वारा विगत साढ़े तीन वर्षों के दौरान रु. 893.13 करोड़ का जलकर वसूल न किया जाना।
11	अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग	ES2-012/19-20	एक ही राजमार्ग के दो क्रमिक भागों के लिए अलग-अलग मानकों से सतह डिज़ाइन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹456.90 लाख का परिहार्य व्यय भार।
12	- do -	ES2-012/19-20	चारधाम परियोजना के एक कार्य में सतह डिज़ाइन के मानकों में परिवर्तन अनुमन्य कर ठेकेदार को ₹13.98 करोड़ का अदेय लाभ पहुँचाया जाना।
13	अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., श्रीनगर	ES2-020/19-20	अनुचित तकनीकी आकड़ों के आधार पर स्वीकृत डी.पी.आर. के कारण ठेकेदार को ₹668.55 लाख का परोक्ष लाभ प्राप्त होना।

14	- do -	ES2-020/19-20	चारधाम परियोजना के दो कार्यों में निर्मित दीवारों की दोहरी मापें लिए जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को ₹54.76 लाख का अधिक भुगतान।
15	अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि. बड़कोट (उत्तरकाशी)	ES2-029/19-20	राष्ट्रीय राजमार्ग-94 पर अधोमानक बूटमिन कार्यों का निष्पादन।
16	अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., चकराता	ES2-031/19-20	समाप्ति तिथि के 21 माह बाद भी कार्य का पूर्ण न होना।
17	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 (ए.डी.बी.), लो.नि.वि. देहरादून	ES2-032/19-20	रॉयल्टी कम काटा जाना।
18	- do -	ES2-032/19-20	मार्ग पर वास्तविक रूप से आंगणित MSA को बिना किसी आधार के सत्रह गुना बढ़ा कर व्ययाधिक्य।
19	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून	ES2-038/19-20	धनराशि ₹387.98 लाख की सीमेंट का अनियमित क्रय।
20	अधिशाली अभियन्ता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून	ES2-041/19-20	वाणिज्यिक निगमों के लिए निष्पादित किए जा रहे निक्षेप कार्यों पर निर्धारित सेंटेज प्रभारों को भारित/वसूल न किए जाने से ₹61.76 लाख की विभागीय राजस्व क्षति।
21	- do -	ES2-041/19-20	वित्तीय स्वीकृतियों से उच्च लागतों पर गठित किए गए अनियमित अनुबंधों के परिणाम स्वरूप दो बालिका छात्रावासों के निर्माण कार्यों का ₹2.78 करोड़ के व्यय के साथ अपूर्ण रह जाना।
22	मुख्य अभियन्ता, रा.राजमार्ग एवं सेतु (कु. धे.), लो.नि.वि., हल्द्वानी	ES2-046/19-20	निविदा की अस्पष्टता एवं विभागीय अनिर्णय के परिणाम स्वरूप ₹64.38 लाख की अतिरिक्त एवं अपरिहार्य देयता का सृजन।
23	अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लो.नि.वि., हल्द्वानी (नैनीताल)	ES2-049/19-20	अपूर्ण अनुबंधशर्तों के कारण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत स्कोप परिवर्तन के औचित्य-विहीन दावे को स्वीकार/संस्तुत किए जाने से कार्य पर ₹408.96 लाख का अतिरिक्त व्यय भार
24	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., नैनीताल	ES2-051/19-20	विभागीय उदासीनता एवं सम्यक नियोजन के अभाव में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उपमिशन बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत आवासीय भवनों के अपूर्ण निर्माण पर धनराशि रु 95.14 लाख का आधिक्य व्यय एवं शासन पर रु 160.00 लाख का अतिरिक्त व्यय।
25	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., लक्सर	ES2-052/19-20	कार्य की लागत में अनावश्यक वृद्धि।
26	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून	ES2-055/19-20	वित्तीय नियमों के विपरीत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व अनुबंध गठित करके व्यय किया जाना एवं चयन के आधार पर अनुबंध गठित करके रु 201.31 लाख का व्यय किया जाना, आगणन की मदों को वर्क आर्डर के द्वारा कराया जाना तथा एक ही तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष टुकड़ों में अनुबंध गठित कर कार्य कराया जाना।
27	- do -	ES2-055/19-20	देरी से विद्युत देयक के भुगतान के कारण Delay payment surcharge के रूप में ₹123.52 लाख के दायित्व का सृजन।
28	अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., रानीखेत	ES2-059/19-20	विभागीय अनुदेशों के अनुरूप कार्यदिश निर्गत न किए जाने के परिणाम स्वरूप तीन कार्यों पर ₹18.12 लाख का परिहार्य व्यय/भुगतान।

29	अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., लोहाघाट	ES2-061/19-20	पनार से गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपूर्ण निर्माण कार्य की दशा में ₹64.36 लाख की वसूली न कर ठेकेदार को अनावश्यक लाभ पहुंचाया जाना।
30	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	ES2-062/19-20	रु 49.98 लाख अग्रिम स्टॉक के भुगतान की वसूली फ़र्म मैसर्स एसीसी देहरादून से 11 वर्ष 09 माह भी नहीं किया जाना।
31	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., बागेश्वर	ES2-064/19-20	कठपुडियाछीना-सेराघाट मोटर मार्ग के विस्तारीकरण पर धनराशि रु 184 लाख का अलाभकारी व्यय।
32	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए.डी.बी.), लो.नि.वि., गोचर (चमोली)	ES2-065/19-20	कार्यक्रम के निर्धारित मानकों से इतर सड़क निर्माण कार्यों पर ₹ 1.89 करोड़ का परिहार्य व्यय तथा अनुबंध शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण कार्य न किए जाने के एवज में ₹ 68.00 लाख की वसूली न किया जाना।
33	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)	ES2-069/19-20	रु. 984.63 लागत के अपूर्ण बड़ सुरक्षा कार्य का अंतिमीकरण किया जाना तथा योजना के अन्तर्गत रु. 100.22 लाख के अतिरिक्त आइटमों एवं समय वृद्धि की अनियमित एवं विलंब से स्वीकृत किया जाना।
34	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी	ES2-077/19-20	वन अधिनियम के प्रावधानों की एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना किया जाना, कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से 3 वर्ष अधिक व्यतीत होने के बाद भी केवल 13 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के कारण निर्धारित लक्ष्य/कार्य का उद्देश्य पूरा न होना।
35	- do -	ES2-077/19-20	विगत पाँच वर्षों से स्टॉक सामग्री लेखा में त्रुटि एवं रु. 2371467.04 के स्टॉक पर लाभ को राजस्व में जमा नहीं किया जाना।
36	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., नई टिहरी	ES2-079/19-20	अपूर्ण छोड़े गए कार्य के लिए अनुबन्ध शर्तों के अनुसार कार्यवाही न कर ठेकेदार को ₹168.72 लाख का अनाधिकृत लाभ प्रदान किया जाना।
37	- do -	ES2-079/19-20	पी.सी./सीलकोट निर्मित मोटर मार्ग पर डिफ़ेक्ट लाईब्रिलिट अवधि के भीतर IRC-तकनीकी विशिष्टियों बिना, ₹97.30 लाख की लागत के एस.डी.बी.सी. (SDBC) कार्य का अधोमानक निष्पादन।
38	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	ES2-081/19-20	रु 112.00 लाख सीमेंट स्टॉक के समायोजन की कार्यवाही 9 वरसों से अधिक समय व्यतीत होने पर भी नहीं किया जाना
39	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., देहरादून	ES2-085/19-20	अधूरे निर्माण कार्यों पर ₹54.74 लाख के निष्फल व्यय के साथ ₹ 246.47 लाख का व्यावर्तन
40	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. भटवाड़ी, उत्तरकाशी	ES2-087/19-20	विभागीय उदासीनता/लापरवाही के कारण शासन को रु 79.67 लाख की हानि तथा लागत में रु 728.17 लाख की वृद्धि।
41	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., पिथौरागढ़	ES2-089/19-20	वित्तीय स्वीकृति के 05 वर्ष बाद भी अपूर्ण कार्य पर स्वीकृत मद में विचलन से रु 126.16 लाख का एवं SDBC से undulation कार्य में रु 29.75 लाख का परिहार्य व्यय।
42	- do -	ES2-089/19-20	विभागीय उदासीनता एवं अनियोजित कार्यों परनाली के कारण मूल स्वीकृति के 13 वर्षों के उपरांत भी अपूर्ण रहना एवं कार्य लागत में रु 319.94 लाख की बढ़ोतरी होना

43	अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.,नि.वि., थल्यूड	ES2-091/19-20	दो पृथक योजनाओं के तहत ₹33.31 लाख की दोहरी स्वीकृतियों को सक्षम प्राधिकारी की पुनरीक्षित स्वीकृति के बिना ही अन्यत्र व्यय किया जाना तथा दोनों कार्यों के ठेकों (लगभग ₹5 करोड़) को मन-माने व अप्रतिस्पर्धात्मकरूपसे फ़र्म विशेष को आवंटित किया जाना।
44	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., चम्बा	ES2-095/19-20	धनराशि ₹ 83.21 लाख का परिहार्य व्यय ।
45	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)	ES2-098/19-20	राष्ट्रीय राजमार्ग-74 से संबन्धित दो बाईपास मार्गों के नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्यों हेतु विभागीय मानकों के विरुद्ध जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के कारण ₹147.61 लाख के परिहार्य व्यय प्रावधान।
46	- do -	ES2-098/19-20	दो मार्गों के पुनर्निर्माण की दोषपूर्ण तकनीकी स्वीकृतियों के कारण ₹52.65 लाख का अनावश्यक स्वीकृति तथा ₹167.14 लाख की लागत के अधोमानक कार्य।
47	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	ES2-106/19-20	सुरक्षात्मक कार्य मदों के निष्पादन न किए जाने एवं योजना अपूर्ण रहने के फलस्वरूप ₹1908.25 लाख का अलाभकारी व्यय
48	- do -	ES2-106/19-20	पार्किंग ठेकों में नियमानुसार स्टॉम्प शुल्क की वसूली एवं रजिस्ट्रीकरण न किए जाने से धनराशि ₹1705000/- के राजस्व की हानि एवं पन्त दीप पार्किंग आवंटन में संशोधित पार्किंग दरों के सापेक्ष राजस्व में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित न किया जाना।
49	- do -	ES2-106/19-20	कूटरचित e-फॉर्म "J" प्रस्तुत करने पर धनराशि ₹57462/- की रॉयल्टी की छूट दिया जाना।
50	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. हरिद्वार	ES2-107/19-20	सेतु के पहुंच मार्ग (Approach Road) के Retaining Wall में मानक से कम स्टील प्रयोग किए जाने के कारण रु3.73 करोड़ का संभावित अधोमानक उप-कार्य ।
51	- do -	ES2-107/19-20	ठेकेदार से निगोशियेशन के नाम पर ठेकेदार (lowest-1 bidder) द्वारा दिए गए फाइनेंसियल बिड की राशि को कम करवाने के बजाय विभाग द्वारा मनमाने ढंग से अनुमोदित आगणन से मदों की मात्राओं को कम कर के ₹ 4.87 करोड़ तक ठेकेदार की फाइनेंसियल बिड की राशि को कम किया जाना, आगणन में एक आइटम की गलत दरो का लिया जाना, एवं ₹ 2.26 लाख लेबरसेस की कटौती कम किया जाना।
52	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., काशीपुर (उधमसिंह नगर)	ES2-108/19-20	निविदा के स्थापित मानकों के अनुसार आर्थिक रूप से अयोग्य ठेकेदार को एक साथ ₹10.37 करोड़ के पाँच कार्यों के ठेकों का अनियमित आवंटन एवं उक्त के कारण इन कार्यों का निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी अनारम्भ/अपूर्ण रहना।
53	- do -	ES2-108/19-20	Suspected MM-11 प्रपत्रों के आधार पर रॉयल्टी की कटौती न किए जाने के कारण शासन को ₹ 5,02,156.00 के राजस्व की हानि।
54	- do -	ES2-108/19-20	₹58.27 लाख का अलाभकारी (Unfruitful) व्यय ।
55	अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., पौड़ी	ES2-111/19-20	रु. 570.15 लाख की रोड निर्माण सामग्री का कुटेशन प्राप्त कर क्रय ।

56	- do -	ES2-111/19-20	वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत अनुबंधों रु. 66924212.71 लाख कार्यों की स्वीकृत धनराशि का अन्य मदो मद रोड फर्निचर में विचलन किये जाने से शासन पर रु. 53739382.18 के दायित्व का सृजन हो जाना।
57	अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर (उधमसिंह नगर)	ES2-116/19-20	नाबार्ड ऋण-पोषित एवं आयोजनागत परिव्यय के तहत स्वीकृत दो नदियों के 'बाढ सुरक्षा एवं कटाव निरोधक कार्यों' के लिए अवमुक्त ₹7.27 करोड में से ₹3.035 करोड का राजस्व मद के कार्यों हेतु व्ययवर्तन के परिणाम स्वरूप योजना कार्यों का अपूर्ण रहना।
58	- do -	ES2-116/19-20	रु1490.58 लाख के कार्य को मनमाने ढंग से छोटे-छोटे टुकड़ो मे विभक्त कर वित्तीय अधिकारो की परिसीमा से अधिक के अनुबंध गठित किया जाना एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा ठेकेदारों को किये गये वास्तविक भुगतान में धनराशि ₹ 231.63 लाख का अन्तर।
59	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा (उधमसिंह नगर)	ES2-121/19-20	निविदा के स्थापित मानकों के अनुसार आर्थिक रूप से अयोग्य ठेकेदार को एक साथ ₹14.32 करोड के तीन कार्यों के ठेकों का अनियमित आवंटन एवं अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण कार्यों का अवरुद्ध हो जाना।
60	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	ES2-123/19-20	वित्तीय नियमो की अवहेलना कर वित्तीय स्वीकृति के 05 से 12 वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण एवं अप्रगतिशील रहने से कार्य निष्पादन मे व्यय धनराशि रु 146.76 लाख का निरर्थक होना।
61	अधिशायी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	ES2-124/19-20	रु 5.22 करोड अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना।
62	- do -	ES2-124/19-20	₹52.77 लाख Mobilization advance का अनियमित भुगतान और ₹37.23 लाख का Liquidated Damage की वसूली नहीं किया जाना।
63	- do -	ES2-124/19-20	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के विपरीत कार्य किया जाना। निविदा आमंत्रण में आगणन की ₹1.57 करोड की मदो की ठेकेदार से दरें न लिए जाने के परिणाम स्वरूप अनुबन्ध में शामिल न किया जाना। ₹ 78 लाख की मदों को मनमाने ढंग से हटा कर पुनः उन मदों को अतिरिक्त मदों में ₹13.42लाख का परिहार्य व्यय का किर्यन्वयन किया जाना। ।
66	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो.नि.वि, उत्तरकाशी	ES2-125/19-20	कार्यक्रम के निर्धारित मानकों से इतर सड़क निर्माण कार्यों पर अनावश्यक रूप से बी.एम. (Bituminous Macadam) कार्यों का प्रावधान/निष्पादन किए जाने से ₹7.85 करोड का परिहार्य व्यय।
67	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, रामनगर	ES2-126/19-20	पी0पी0पी मोड के अन्तर्गत पुल का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण न किया जाना, Advance Annuity पर रु0 80.00 लाख ब्याज की राशि कन्सेसनर से न वसूला जाना, अनुबन्ध के अनुसार निर्माण कार्य में विलम्ब की दशा में Annuity की कुल धनराशि में रु0 43.89 करोड की कटौती न किया जाना एवं उदासीनता के कारण टोल की धनराशि रु0 59.94 लाख की हानि।
68	अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, ऊखीमट रुद्रप्रयाग	ES2-127/19-20	रु 2.66 करोड अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना।

69	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	SS/19-20/170	सड़क निर्माण कार्य पर धनराशि रूपये 34.18 लाख का परिहार्य व्यय एवं बिना प्राक्कलन के धनराशि रु 10.42 लाख का व्यय किए जाना।
70	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	SS/19-20/178	विभागीय उद्देश्यों के विपरीत मोटर मार्ग निर्माण में रु 56.24 लाख का परिहार्य व्यय।
71	- do -	SS/19-20/178	निविदा के आधार पर कार्य निष्पादन के विपरीत चयनित अनुबंधों/कार्यादेशों के माध्यम से रु 1.36 करोड़ का अनियमित निष्पादन।

अनुलग्नक-10
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं में पायी गयी अनियमिततायें:-

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खण्ड का नाम	महत्वपूर्ण अनियमितता	धनराशि
1	01	अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली	वाउचर सं० 20 के संबंध में final bill का भुगतान yellow form से नहीं किया गया।	210204
2	02	अधिशाली अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि. गोपेश्वर	स्टाक लेखा में अंतिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया।	-6309162
3	03	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	final bill का भुगतान yellow form में नहीं किया गया।	212222
4	04	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	PWA Form 26(B) में कार्य का उल्लेख नहीं किया गया एवं भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया।	35146482
5	05	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	कार्य का भुगतान 3 वर्षों के विलम्ब से किया गया।	99568
6	14	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	चालान की छायाप्रति संलग्न नहीं थी।	49548
7	13	अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	कार्य पूर्ण करने की तिथि उल्लेखित नहीं थी।	1267235
8	12	अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड, हरिद्वार	अपूर्ण जानकारी के साथ बिल का भुगतान किया गया।	8262398
9	11	अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड, रानीखेत, अल्मोड़ा	3 वर्ष बीत जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हुआ।	1652400
10	10	अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड, देहरादून	भुगतान का आधार स्पष्ट नहीं।	370043
11	09	अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल	194 C आयकर की धारा के सम्बन्ध में 1 % TDS कटौती के बजाय 2 % की कटौती की गयी।	330061
12	15	अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड, पाबौ, पौड़ी	कार्य का भुगतान 1 वर्ष बाद किया गया तथा Final बिल ordinary paper व form 24 पर दिखाया गया	68387
13	16	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण खण्ड, देहरादून	कार्य का भुगतान 7 वर्षों बाद किया गया।	755885
14	17	अधिशाली अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि., बागेश्वर	रु 17360/- के व्यय को लेखाशीर्ष 5054 पर भारित किया गया।	17360

15	20	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, विकासनगर डाकपत्थर, देहरादून	लेखाशीर्ष 4700 पर रु 34376/- के tyre क्रय करने का व्यय भारित किया गया।	129964
16	21	अधिकासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चमोली	2016-17 मे समाप्त हुये कार्य का भुगतान 3½ वर्ष के विलम्ब के बाद 08/2019 में किया गया।	365583
17	22	अधिकासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण खण्ड, पौड़ी	कार्य का भुगतान 3 वर्ष के विलम्ब से किया गया।	90270
18	23	अधिकासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग	प्रपत्र 73 मे अन्तिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया था।	118695
19	24	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., रानीखेत, अल्मोड़ा	कार्य का भुगतान 6 माह के विलम्ब से किया गया तथा अनुबन्ध पत्र की छायाप्रती अनुपलब्ध थी।	170634
20	25	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि, अल्मोड़ा	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत बिल का भुगतान किया गया	296249
21	26	अधिकासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चमोली	ठेकेदारो को भुगतान लगभग 2 ½ वर्ष के विलम्ब से किया गया	312286
22	27	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	लेखाशीर्ष 4700 पर नाबार्ड यमकेश के अंतर्गत लेखन सामग्री को भारित किया गया।	81370
23	28	अधिकासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून	कार्य का भुगतान विलम्ब से किया गया।	61965
24	29	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अंबाड़ी, कालसी, देहरादून	रु 20950/- के व्यय को लेखाशीर्ष 8443 पर भारित करने सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं थी।	20950
25	30	अधिकासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	वाउचर की राशि डाकेट मे तो थी परन्तु उनसे संबन्धित वाउचर व बिल संलग्न नहीं थे।	175357
26	31	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि, देहरादून	कार्य का भुगतान 9 माह के विलम्ब से किया गया।	999547
27	32	अधिकासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	अपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत किये गए बिल का भुगतान किया गया।	133483
28	33	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	लेखाशीर्ष 4700 पर petrol/डीजल तथा लेखन सामग्री पर रु 44898/- का व्यय भारित किया गया।	44898
29	34	अधिकासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	कार्य का भुगतान 3 ½ वर्ष के विलम्ब से किया गया।	165000
30	39	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, थराली	कार्य का समापन 2 वर्ष के विलम्ब से किया गया।	11345
31	40	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कपकोट	Time Extesion Approval संबन्धित कोई भी पत्रावली /छायाप्रती संलग्न नहीं पाई गयी	62174

32	41	अधिशाली अभियन्ता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून	वाहनो के petrol/डीजल पर किये गए व्यय को लेखाशीर्ष 8443 भारित किया गया।	22534
33	44	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी	Form 28 Hand Receipt द्वारा भारित करने से संबन्धित सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति आदेश अनुपलब्ध थे।	111646
34	45	अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., चकराता	कार्य का भुगतान विलम्ब से किया गया।	488600
35	46	अधिशाली अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	अनुबंध पत्र तथा यदि समय सीमा में वृद्धि की गयी तो extension letter की छायाप्रति अनुपलब्ध थी।	22320615
36	47	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खंड, ए.डी.बी. लोक निर्माण विभाग, गौचर, चमोली	Deposit work के व्यय को प्रपत्र 64 में दर्शाया गया जो कि प्रपत्र 65 में दर्शाया जाना चाहिए था।	1816771
37	48	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	रु 92098 के व्यय को Hanging light, Street light, के कार्य पर भारित करने के संबंध में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदेश की प्रति अनुपलब्ध थी।	92098
38	49	अधिशाली अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	अनुबंध पत्र तथा यदि समय सीमा में वृद्धि की गयी तो extension letter की छायाप्रति अनुपलब्ध थी।	10068171
39	50	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया, न ही उस पर किसी प्रकार के अर्थदंड लगाये जाने सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध थे।	44395
40	53	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, PMGSY, जखोली, रुद्रप्रयाग	विभाग द्वारा CGST SGST नहीं काटे गए।	-
41	54	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खंड, टनकपुर	रु 90886/- का व्यय लेखाशीर्ष 2700H&R पर भारित किया गया।	90886
42	55	अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, घनसाली	final bill के वाउचर का भुगतान ordinary bill पर किया गया। जबकि Final Bill Yellow पेपर पर अंकित किया जाता है।	2164306
43	56	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा	अपूर्ण जानकारी के साथ बिल का भुगतान किया गया	24784
44	57	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	कार्य का भुगतान विलम्ब से किया गया।	595696

45	59	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर, उधमसिंह नगर	कार्य का भुगतान 10 वर्ष के विलम्ब से किया गया ।	2315643
46	60	अधिशाली अभियंता, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की	वाउचर संख्या 1 से 16 तक क्रय की गयी वस्तुओं के बिल की छायाप्रती अनुपलब्ध थी ।	34743
47	61	अधिशाली अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	कार्य की माप भुगतान से 25 दिन पहले की गयी ।	553086
48	62	अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पाबों, पौड़ी गडवाल	Revenue Stamp अंकित नहीं किया गया ।	122189
49	63	अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	कार्य का भुगतान 4 वर्ष 1 माह के विलम्ब से किया गया ।	94011
50	64	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	कार्य का भुगतान विलम्ब से किया गया ।	80000
51	65	अधिशाली अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बहादुराबाद हरिद्वार	Hand Receipt पर हस्ताक्षर अंकित नहीं थे।	286550